गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(ISO-9001:2015 एवं ISO-14001:2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की तहसील सदर के राजस्व ग्राम अटौर व ग्राम मोरटी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से लेआउट प्लान/बिल्डिंग प्लान की अनुमति प्राप्त किये बिना कतिपय बिल्डरों/डवलपर्स/कॉलोनाईजर्स/सोसाइटी आदि द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमण किया जा रहा है तथा अवैध रूप से विकसित भूखण्ड/फ्लैट/विला/फार्म हाउस आदि विक्रय किये जाने के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों में विज्ञापन, इन्टरनेट बुकिंग आदि के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्ड/फ्लैट/विला/फार्म हाउस आदि का क्रय-विक्रय किया जाना पूर्णतः अवैध एवं विधि विरुद्ध कृत्य होने के साथ-साथ जनसामान्य के साथ धोखाधड़ी एवं कपटपूर्ण व्यवहार है। इस प्रकार अनियोजित रूप से विकसित की गई अवैध कालोनियों में जल निकासी, सड़क, सीवर, जलापूर्ति व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है।

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में दिये गये प्राविधानों एवं सुसंगत व्यवस्थाओं के अधीन प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था/फर्म को प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार स्कीम/योजना द्वारा प्लॉट/फ्लैट/विला/फार्म हाउस आदि के माध्यम से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उनके द्वारा इस प्रकार का क्रय-विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णरूप से अवैध होगा तथा इस हेतु उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के साथ अवैध निर्माणों को सील करने अथवा ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त ग्रामों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में भूखण्ड/भवन का क्रय/विक्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा पास होने एवं योजना की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर लिये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही क्रय/विक्रय करें। इस प्रकार के कृत्य से किसी भी हानि व धोखाधड़ी के लिये क्रेता एवं विक्रेता दोनों उत्तरदायी होंगे। प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, f : @gdagzb, : @gdagzb

हेल्पलाइन नं. : 0120-3342433, व्हाट्सअप : 9818988807, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प